



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 e-mail: www.mppcb.nic.in

क्रमांक /तक/अधीक्षण यंत्री/प्रनिबो/2016, भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

बिल्डिंग/प्लाट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स के स्थापना/संचालन सम्मति प्रकरण अधिक संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रकरणों में मुख्यतः तकनीकी दृष्टि से घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र (एसटीपी) की ड्राइंग/डिजाईन, लोकेशन तथा उपचारित दूषित जल के विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग संबंधी तथ्यों पर प्रस्तुतीकरण देखा जाता है। इन प्रकरणों के अन्य संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रकरण के प्राप्त होने के साथ ही परीक्षण कर लिये जाते हैं। प्रायः समस्त प्रकरणों में आधुनिक तकनीक पर आधारित विभिन्न क्षमताओं के एसटीपी के लगभग समान ड्राइंग/डिजाईन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर तकनीकी प्रस्तुतीकरण व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। साथ ही बोर्ड के अधिकारियों एवं बिल्डिंग/प्लाट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रतिनिधियों का अनावश्यक समय लगता है।

अतः बिल्डिंग/प्लाट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तकनीकी प्रस्तुतीकरण की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है तथा ऐसे प्रकरण जिन में आवश्यक दस्तावेजों की कमी एवं तकनीकी रूप से अपूर्ण एसटीपी के प्रस्ताव अथवा संवेदनशील स्थल होने की विशेष परिस्थितियों में ही तकनीकी प्रस्तुतीकरण कराया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक 3543 /तक/अधीक्षण यंत्री/प्रनिबो/2016, भोपाल, दिनांक 27-9-16  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त यूनिट हेड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उक्त आदेश बोर्ड की वेब-साईट पर अपलोड करें।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव